न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 4/2017 (बांसवाड़ा डिकी)

1. श्रीमती पूंजी बेवा बदिया चमार निवासी नौगामा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा (राज0)
2. श्रीमती गंगा पुत्री श्री बदिया चमार निवासी नौगामा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा (राज0)
3. श्रीमती कमला पुत्री श्री बदिया चमार निवासी नौगामा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा (राज0)
4. श्रीमती जमना पुत्री श्री बदिया चमार निवासी नौगामा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा (राज0)
5. श्रीमती मन्जु पुत्री श्री बदिया चमार निवासी नौगामा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा (राज0)

.... अपीलान्ट्स

बनाम

1. मृतक श्री धन्ना पिता गौतम निवासी नोगामा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा (राज0) के विधिक उत्तराधिकारी एवं वारिस :–

   1/1– श्री हीरा पिता श्री धन्ना निवासी नौगामा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा (राज0)
2. श्री कचरू पिता कोदर निवासी नोगामा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा
3. श्रीमती अमृत बेवा कोदर निवासी नोगामा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा
4. श्रीमान भूमिधारी जरिये तहसीलदार बागीदौरा जिला बांसवाड़ा (राज0)

.... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड
अधिकारी बागीदौरा दिनांक 12–08–2011 प्रकरण
सांख्या 23/2017 राजस्व वाद

–––/–––

उपस्थित :–1– श्री जयेन्द्र पुरोहित अभिभाषक अपीलान्ट्स
2– श्री महेन्द्र कुमार गांधी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट्स 1/1
3– राजकीय अधिवक्ता

निर्णय   दिनांक 10—04—2018

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या—1 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध एक वाद घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम नोगामा में वादपत्र की कलम संख्या—1 वर्णित कुल आराजीयात किता—16 रकबा 20 बीघा 3 बिस्वा भूमि वादी के खातेदारी व कब्जे की है। प्रतिवादीगण का इसमें कोई हक नहीं है। निवेदन किया कि दौराने सेटलमेन्ट विवादित आराजीयात के नये नंबर वादपत्र की कलम संख्या—2 अनुसार बने है। इनमें से आराजी नंबर 1862, 1863 व 2147 कुल किता—3 रकबा .32 एयर भूमि अवैध रूप से प्रतिवादी के नाम दर्ज कर दी। इसी तरह बगदा पिता गौतमा के नाम आराजी नंबर 1779, 2144 कूल किता—2 रकबा .31 एयर भूमि अनाधिकृत रूप से सक्षमता विरूद्ध प्रतिवादी के नाम दर्ज कर दी गई। प्रतिवादीगण के नाम दर्ज उक्त भूमि जो कि भू—प्रबन्ध पूर्व वादी के खाते मं थी, उसे वादी के नाम दर्ज करवाकर विधिक उचित अनुतोष दिलवाया जाय।

प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजीयात वादी की सहमति से व स्वीकृति से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हुई है तथा वादीगण का इस भूमि में अब कोई हक अधिकार व कब्जा नहीं है। वादग्रस्त कृषि भूमि गौतमा के बड़े पुत्र धन्ना के नाम दर्ज थी, कोदरा व बदिया वादी के भाई है तथा सहमति से भूमियां प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हुई है। जिसमें अब वादी उजर करने का अधिकारी नहीं है।

प्रकरण में प्लीडिंग्स के आधार पर निम्नानुसार तनकियात कायम की गई :—

1. ***आया वादी की खातेदारी के खेत खाता संख्या 23 कूल खेत 16 कूल रकबा 20 बीघा 3 बिस्वा ग्राम नोगामा तहसील बागीदौरा में स्थित है। जिसमें सेटलमेन्ट में नये नम्बर वादचरण संख्या 2 में अंकित अनुसार है। जिसमें भू—प्रबन्ध विभाग द्वारा अवैध रूप से प्रतिवादीगण के नाम की प्रविष्ठि की गई है?   .... वादी***

2. आया प्रतिवादीगण के नाम सर्वे नंबर 1862, 1863 व 2147, 1779, 2144 की प्रविष्ठि वादीगण की सिहमति से हुई है। वादग्रस्त भूमि मूल पुरूष गोतमा की होकर पैतृक है?

3. अनुतोष

प्रकरण में वादी की और से साक्ष्य वादी के बयान हुए। प्रतिवादी ने कोई शहादत पेश नहीं की। अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 12–8–2011 से वादी का वाद घोषणात्मक डिक्री कर पारित किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या–2 के वाद द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 16–12–2016 को पेश की।

अपील के साथ दफा–5 जाब्ता मयाद का आवेदन पेश कर निवेदन किया कि उन्हें अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी माह नवम्बर, 2016 में रेस्पोन्डेन्ट वादी द्वारा दखल देने से हुई। अतएव अन्दर जानकारी मयाद अपील पेश की जा रही है। अपीलान्ट द्वारा यह अपील अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 12–8–2011 के विरूद्ध 60 दिवस की विहित अवधि 11–10–2011 के स्थान पर 5 वर्ष एक माह के विलम्ब से प्रस्तुत की है। जबकि अधिनस्थ न्यायालय यका निर्णय अपीलान्ट प्रतिवादी की उपस्थिति में हुआ है। अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा मयाद कण्डोन किये जाने का आवेदन 5 वर्ष से भी ज्यादा विलम्ब से पेश किया है, जिसे कण्डोन किये जाने के लिए कोई आधार जो कि उचित एवं पर्याप्त हो, वर्णित नहीं किया है। अतएव अपील बेरून मयाद हाने से खारिज किये जाने योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण होना बताते हुए खारिज करने की प्रार्थना की। वहीं अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है यह स्वीकृत स्थिति है कि भू–प्रबन्ध पूर्व विवादित भूमियां वादी रेस्पोन्डेन्ट की खातेदारी में थी तथा

भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना अधिकारिता एवं सक्षमता के अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्यिा–2 कोदर का नाम जोड़ा गया है। यह भी विधिक स्थिति है कि सहमति से जब तक कि सहमति विधिक नहीं हो कोई अधिकार किसी पक्षकार को सृजित नहीं होते। इस प्रकरण में धन्ना की सहमति विबन्धन नहीं मानी जा सकती, क्योंकि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा कार्यवाही बिना सक्षमता व अधिकार के की गई है। तद्नुसार अपील अपीलान्ट गुणावगुण आधार पर भी पोषणीय नहीं है।

उपरोक्त समग्र विवेचन से अपील अपीलान्ट बेरून मयाद व सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 12–8–2011 यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 10–04–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत .... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.** ....मुकाम .... **उदयपुर** व इजलास .... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** ....

1–श्रीमती पूंजी बेवा बदिया चमार निवासी नोगामा तहसील बागीदौरा जिला बंसावाड़ा अन्य–4	बनाम	**1– मृतक श्री धन्ना पिता गोतम चमार के वारिसान :– 1/1– श्री हीरा पिता धन्ना चमार निवासी नोगामा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा अन्य–3**

अपील नं0 **4/2017** बनाराजगी डिगरी अदालत.......... **उपखण्ड अधिकारी** .... **बागीदौरा** .... मुकाम मुर्क्खे..........**12**..........माह.............**08**................ **2011**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ......**10**..... माह ......**04**.......... सन् **2018** रूबरू............ पक्षकारान व हाजरी....**श्री जयेन्द्र पुरोहित** .... मिनजानिब अपीलान्ट व ....**श्री भगवतपुरी** .... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद व सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 12–8–2011 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये.......... X ......अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .... X .... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख ....**10**...... माह ...**04**........ **2018** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा .... 3. वकील फीस बाबत .... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।